संख्या-11/274/2022/12-2-2023/100(05)/2014

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः13 फरवरी, 2023

विषयः सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन योजना के क्रियान्वयन एवं सामान्य संचालन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-91/2022/1395189/12-3099/71/2021 दिनांक 11 नवम्बर 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के क्रियान्वयन एवं सामान्य संचालन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए, सत्यापन हेतु भी दिशानिर्देश निर्धारित किये गये हैं। शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश में कई जगहों पर यंत्रों के सत्यापन में अनियमिततायें की जा रही हैं। अतः कृषि यंत्रीकरण की योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों/कस्टम हायरिंग सेंटर/फार्म मशीनरी बैंक के सत्यापन हेतु निम्न बिंदुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें:-

(1) इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि के उपरान्त उप कृषि निदेशक द्वारा सत्यापन से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फर्मों को शतप्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही किए जाने पर ही अनुदान के भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये। इसकी पुष्टि हेतु साक्ष्य भी लिए जायें। इस सम्बन्ध में कृषकों के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाये।

(2) रु0 50,000/- तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों का सत्यापन किसी भी वर्ग के प्राविधिक सहायक, अवर अभियंता अथवा किसी भी राजपत्रित अधिकारी से कराया जा सकता है। रु0 50,000/- से रु0 1,00,000/- तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों का सत्यापन किसी भी राजपत्रित अधिकारी अथवा राजपत्रित अधिकारियों की पर्याप्त उपलब्धता न होने पर प्राविधिक सहायक वर्ग- ए, बी, सी एवं अवर अभियंता में से किन्ही दो भिन्न वर्ग के कर्मचारियों की टीम बनाकर उनके माध्यम से कराया जा सकता है। रुपए 1,00,000/- से अधिक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों/फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर का सत्यापन किसी राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से कराया जाना अनिवार्य होगा । सत्यापित रिपोर्ट उप कृषि निदेशक अनिवार्य रूप से प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।

(3) अधिकारियों/कर्मचारियों को सत्यापन हेतु नामित करते समय उप कृषि निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जाय कि एक ही सत्यापन अधिकारी/कर्मचारी से 05 से अधिक कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों/फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर का सत्यापन नहीं कराया जाय। उक्तानुसार सत्यापन हेतु यदि जनपद में पर्याप्त अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धता न हो तो सत्यापन अधिकारी/कर्मचारी के जनपद में कुल संख्या के आधार पर समानुपाती रूप से कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों/फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर का सत्यापन कराया जाय।

(4) समस्त कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों/फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर का सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2. उपर्युक्त सीमा तक शासनादेश संख्या- 91 / 2022 / 1395189 / 12-3099 / 71 / 2021 दिनांक 11 नवम्बर 2022 को परिमार्जित/संशोधित समझा जाये। शासनादेश दिनांक 11 नवम्बर 2022 की अन्य व्यवस्थायें/दिशानिर्देश यथावत रहेंगें।

भवदीय,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 11/274/2022/12-2-2023/100(05)/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त संयुक्त कृषि निदेशक / उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।